

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015 ∕कार्तिक 13, 1937 No. 362] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/KARTIKA 13, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य स्रक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4, नवम्बर, 2015

फा. सं. पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) (संसोधन) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए, कितपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई तारीख 5 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख साठ दिनों की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थै;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 दिसंबर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

4705 GI/2015 (1)

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 20 और 22 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

विनियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम,, 2011 में "फसलों का संदूषण और प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थीं" से संबंधित, विनियम 2.2 में,-
- (क) उपविनियम 2.2.1 के खंड (2) और उसके तद्धीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "2. प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थ:

क्रम सं.	प्राकृतिक रूप से	खाद्य वस्तु	अधिकतम सीमा
	उद्भूत होने वाले		(पीपीएम)
	विषाक्त पदार्थीं		
	का नाम		
	(एनओटीएस)		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एगेरी अम्ल	खाद्य जिनमें मशरूम अंतर्विष्ट है ।	100
		एल्कोहली सुपेय	100
2.	हाइड्रोसायनिक अम्ल	नुगा, मार्जीपैन या उसके पदार्थ या समान	5
		उत्पाद	
		डिब्बाबंद स्टोन फल	5
		एल्कोहली सुपेय	5
		कन्फेक्शनरी	5
		डिब्बाबंद स्टोन जूस	5
3.	हाइपरसाइन	एल्कोहली सुपेय	1

4.	स्फ्रोल	मांस विनिर्मितियां और मांस उत्पाद जिसके अंतर्गत कुक्कुट और	10
		मत्सय विनिर्मितियां और मत्सय उत्पाद	10
		सूप और सॉस	10
		गैर एल्कोहली सुपेय	10
		खाद्य जिनमें गदा और जायफल अंतर्विष्ट	10
		हैं ।	
		एल्कोहली सुपेय	10

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन 3/4/असाज/187-0/15(248)]

(i) टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2015

F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015 were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th December, 2014;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub- section (2) of section 92 read with section 20 and 22 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

REGULATIONS

- **1. (1) Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

- 2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to 'Crop Contaminants and naturally occurring toxic substances', -
 - (a) in sub-regulation 2.2.1, for clause (2) and the entries there under, the following shall be substituted, namely:-
 - "2. Naturally occurring toxic substances:

TABLE

Sl.No	Name of naturally	Article of food	Maximum limits
	occuring toxic		(ppm)
	substances (NOTS)		
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agaric acid	Food containing mushrooms	100
		Alcoholic beverages	100
2	Hydrocyanic acid	Nougat, marzipan or its substitutes or similar products	5
		Canned stone fruits	5
		Alcoholic beverages	5
		Confectionery	5
		Stone fruit juices	5
3	Hypericine	Alcoholic beverages	1
4	Saffrole	Meat preparations and meat products, including poultry and game	10
		Fish preparations and fish products	10
		Soups and sauces	10
		Non-alcoholic beverages	10
		Food containing mace and nutmeg	10
		Alcoholic beverages	10".

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer

[Advt. 3/4/Exty./187-0/15(248)]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1^{st} August, 2011 and subsequently amended vide F. No. 1 12/Sci. panel/(Notification)/FSSAI/2012 dated the 3^{rd} December, 2014.